



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ₹ 100 INRS

FX 549212

(प्रारूप-अ)

दिनांक 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली किल्लोमा इन कार्मैसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष की सूचीबद्ध द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी सचवा-पत्र का प्रारूप-

इस नोटरी सचवा-पत्र में अन्वयार्थ सिद्ध अन्वय- अध्यक्ष एवं प्रबंधक एकल सेवा संस्थान, कटप, गोरखगंज, जिला - अयोध्या शहर के निम्नलिखित बयान करते हैं-

कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा ज्योतिराज कालेज आर कार्मैसी, ग्राम ब, पोस्ट नन्दुआरी, तहसील-टाण्डा जनपद-अम्बेडकरनगर नामक किल्लोमा इन कार्मैसी संस्थान की स्थापना दिनांक 20/03-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

हमारे द्वारा ज्योतिराज कालेज आर कार्मैसी, ग्राम ब पोस्ट नन्दुआरी, तहसील-टाण्डा जनपद-अम्बेडकरनगर में गाटा संख्या 304 रकबा 0.810780 मूनि है।

- यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी बट्ट किल्ली भी व्यावसाय में गंभी चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
- यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 304 रकबा 0.810780 पर उपरोक्त नाम की किल्लोमा इन कार्मैसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 06.08.2020 द्वारा पारित किया गया है।
- यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित किल्लोमा इन कार्मैसी संस्थान संघालन हेतु सदस्यों का निर्माण अनुमोदित नवसे के अनुसार किया गया है।
- यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्माणाधीन भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
- यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर कार्मैसी काउन्सिल आफ इन्फिडिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही किल्लोमा इन कार्मैसी संस्थान का ही संघालन किया जायेगा।

8. यह कि, इस संस्था में फार्मती कार्डनिष्ठ आर्क इन्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश शक्ता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

9. यह कि, उद्योगका भूमि व इस पर निर्मित भवनो से फार्मती कार्डनिष्ठ आर्क इन्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद 20000 लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न तो भविष्य में कभी किया जायेगा।

10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कलास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मती कार्डनिष्ठ आर्क इन्डिया, नई दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के मन्को के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।

11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक सैलिक एवं अरोलिक स्टाप की तैन्की सोल्डटी / ट्रस्ट द्वारा मात्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12. यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करण। यदि भरे संस्था में किसी भी समय स्थलीय निर्देशन में भागकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मैंने कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13. मैं घोषणा करता / करती हूँ कि भरे द्वारा दी उद्योगका सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है / यदि ही गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, झूठबलि, अथवा झूठपूर्व पाए जाते हैं तो भरे विरुद्ध परिषद द्वारा निगमनकार कानून लागत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।



Anand Chandra Singh
80 सचिव

अमरनाथ सिंह
80 सचिव

Disponent
Anand Chandra Singh
Mohali, Punjab - 152001
GOVT. OF PUNJAB
Mohali
01/09/23

Anand Chandra Singh Mohali